राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक–प.2(3)(जी–36)आ.कृ/ग्रुप–7/ 4022 – 33 दिनांक : 31-3-16

नियुक्ति आदेश

राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर की विज्ञापन संख्या–1 क्रमांक प.14(7)RSMSSB/अर्थना/कृषि/कनि.अभि./2014–15/70–78 दिनांक 24.03.2015 के तहत राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ अभियंता (कृषि) पदों की सीधी भर्ती हेतु दिनांक 12.07.2015 को परीक्षा आयोजित की जाकर परिणाम दिनांक 22.07.2015 में प्राप्तांको के आधार पर नियमानुसार वरीयता क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थियों का चयन कनिष्ठ अभियंता के पद पर किया जाकर इन्हें कार्यभार संभालने की तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम–2008 की अधिसूचना संख्या प.11(7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं 08.06.2015 के नियम 21 के परिशिष्ट के अंतर्गत रनिंग पे बैण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 3600/– में नियत पारिश्रमिक (FIXED REMUNERATION) रू. 13,200/– (अक्षरे तेरह हजार दौ सौ रूपये मात्र) पर दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (PROBATIONER-TRAINEE) के रूप में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किये जाते है:–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	गृह जिला	जन्म तिथी	वरियता (मेरिट)	वर्ग	लिंग	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	सुश्री मीनू सिंह राजपूत	श्री विजय पाल सिंह	गांव मानमहों पोस्ट–महों तहसील– हाथरस जिला–हाथरस (यू0पी0)	उत्तर प्रदेश	31.10.1992	–	GEN	स्त्री	सहायक अभियंता (पी.आई.ए.) पंचायत समिति पीसांगन जिला– अजमेर

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दि. 13.03.2006, एफ.16(2)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006, एवं एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006,एफ.6(6)एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.16(5)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006,एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 अनुसार अन्य भत्तों यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ अभियंता के पद पर पे–बैण्ड 9300–34800/– में करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

<u>उक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी:–</u>

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं इससे संबंधित अन्य आदेश, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
3. परिवीक्षा अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना दि. 13.03.2006 में दी गई शर्तो के अनुसार राजकीय सेवा करनी होगी। इस अधिसूचना के तहत नियत पारिश्रमिक के अलावा किसी प्रकार के कोई अन्य भत्ते यथा मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी भत्ता, बोनस, समर्पित अवकाश इत्यादि देय नहीं होंगे। साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में इन्हें प्रतिवर्ष 12 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होंगे।
4. नियुक्ति स्थान पर पंहुचने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
6. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में सेवाएं संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार परिवीक्षाकाल (Probation Period) नही बढ़ाया जावेगी, या बिना कारण बतायें सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
7. 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इन्हें कनिष्ठ अभियंता की पे–बैण्ड व ग्रेड–पे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के नियम 22 के परिशिष्ट–V एवं यथा संशोधित के अनुसार वेतन व अन्य वेतन व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

8. उक्त चयनित अभ्यार्थियों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा। अन्यथा उनके संबंध में यह नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावे।
9. उक्त चयनित अभ्यार्थियों की चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर एवं पीठ जयपुर में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 8629/2015, एवं 9326/2015 तथा इस भर्ती से संबंधित माननीय विभिन्न न्यायालयों में दायर अन्य समस्त याचिकाओं के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव कृषि,

कमांक–प.2(3)(जी–36)आ.कृ/ग्रुप–7/ 4022 – 33

दिनांक : 31-3-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालियक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुरा जयपुर।
5. आयुक्त जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर।
7. अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, जिला परिषद् अजमेर।
8. अधिशाषी अभियंता (पी.आई.ए.) जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, अजमेर।
9. सहायक अभियंता (पी.आई.ए.) पंचायत समिति पीसांगन जिला– अजमेर।
10. संबंधित कार्यालयध्यक्ष को भेजकर लेख है कि संबंधित चयनित अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर सेवाभिलेख का संधारण करें, तथा दस्तावेजों की एक–एक प्रमाणित प्रति उनकी निजी पत्रावली में रखें। तत्पश्चात् ही इनको संबंधित मुख्यालय पर कार्य करने हेतु निर्देशित करें। उक्त चयनित अभ्यर्थियों के मूल पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्रों एवं चिकित्सा प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच आयुक्तालय स्तर पर की जाकर आयुक्तालय स्तर पर इनकी निजी पत्रावलियों में संधारित कर लिये गये है।
11. चयनित संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट से नियुक्ति आदेश डाउनलोड कर पदस्थापन कार्यालय में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट संबंधित कार्यालयध्यक्ष को प्रस्तुत करते समय अपने दस्तावेज एवं इनकी प्रमाणित प्रतियां एवं मय फोटो पहचान पत्र (वोटर आई डी/ड्राइविंग लाईसेंस/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो पहचान पत्र/पासपोर्ट/आधार पहचान पत्र/पेन कार्ड) आदि में से कोई एक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें ।
12. आरक्षी पत्रावली।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)